भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3993

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

एसटी श्रेणी के लिए मानदंड

3993. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी की पात्रता से सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के क्या मानदंड है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ में श्री अजीत जोगी को अनुसूचित जनजाति होने से अयोग्य ठहराए जाने के मामले में अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अनुपालन हेतु विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों और सरकार के निर्णयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपना धर्म बदलकर अपनी मूल संस्कृति को त्यागकर गैर-भारतीय संस्कृति अपनाने के कारण अपात्र घोषित किये गये अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सदस्यों का राज्यवार एवं राजस्थान का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने और सामाजिक स्थिति के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन की है।जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों की अयोग्यता से संबंधित मामलों से नहीं निपटता है।

(ग) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****